न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 11/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत भूति, पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर		1.ठाकराराम पुत्र केसाजी, जाति मेघवाल,निवासी भूति, तहसील आहोर, जिला जालोर 2.सरपंच, ग्राम पंचायत भूति, पंचायत समिति , जालोर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भूति,दिनांक 20.9.13(पट्टा सं.92)जारी दि. 25.9.13

उपस्थितिः–
1.श्री चिरंजीलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2.श्री दौलतराज बाराडा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं.1की ओर से।
3,अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक 3.12.2019

1. प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा भूति में खसरा नम्बर618 रकबा 1.43 हेक्टर की आराजी के सामने पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1078 रकबा 4.31 हेक्टर, किस्म गैर मुमकिन सडक आई हुई है जो सार्वजनिक है,उक्त सडक पर ग्राम के ठाकराराम पुत्र केसाजी, जाति मेघवाल, निवासी भूति ने सन् 2013 में पुश्तैनी कब्जा बताकर आवासीय प्रयोजन हेतु पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत् पट्टा जारी करवाया है, उक्त पट्टा सार्वजनिक भूमि पर जारी किया गया है जो नियमों के विरूद्ध ग्राम पंचायत भूति द्वारा अधिकारों से बाहर जाकर पट्टा जारी किया गया जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की है। पंचायत राज नियमों 157(1) के तहत् पट्टा जारी हुआ हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत पुश्तैनी आवासीय प्रयोजन का पट्टा जारी किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियों के विपरीत कार्य कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु उक्त दुकान बाबत् 16 गुणा 12 फीट भूखण्ड का पट्टा जारी कर नियमों के विपरीत कार्य किया

है,अप्रार्थी को जारी पट्टा सं.92 के सबंध में हल्का पटवार भूति द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 7.12.2017 में पाया गया कि उक्त पट्टा सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ते की यानि सडक की भूमि का जारी किया गया है जो जांच रिपोर्ट में उक्त पट्टा नियमों के विपरीत जारी करना पाया गया, उक्त पट्टा बाबत् पट्टा शुल्क रसीद सं. 236 जारी हुई है जो दिनांक 20.5.2014को जारी की गयी है जो पट्टा जारी दिनांक से 8 माह पश्चात् उक्त रसीद जारी हुई है, ग्राम पंचायत के रेकर्ड में भूमि किस्म बाबत् हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है तथा उक्त पट्टै जारी बाबत् पंचायत बैठक कार्यवाही में भी मौका कमेठी के सदस्यों का नाम इन्द्राज नहीं है,न ही पत्रावली में मौका निरीक्षण रिपोर्ट है, उक्त पट्टे के सबंध में विकास अधिकारी आहोर के पत्र कमांक 1947/2018 दिनांक 29.1.2018 द्वारा उक्त पट्टा निरस्त करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया है। उक्त दिनांक से समय सीमा अवधि में प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की है। अतः पट्टा सं.92 को निरस्त करवाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र ,धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी की निगरानी का जवाब मय शपथपत्र अप्रार्थी सं.1की ओर से दिनांक 22.11.19 को पेश किया कि अप्रार्थी ने किसी तरह से ग्राम पंचायत भूति से गलत पट्टा नही प्राप्त किया है बल्कि ग्राम पंचायत भूति द्वारा अप्रार्थी के आवेदन पत्र की समुचित जांच कर तथा पट्टा जारी करने के तमाम नियमों का पालन करते हुए वार्ड पंचों की कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण कर मिसल तैयार कर नियमानुसार पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है जो पट्टा सरपंच व ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत भूति के हस्ताक्षरयुक्त है, जिससे उक्त पट्टा किसी भी सूरत में निरस्त योग्य नहीं है तथा प्रार्थी जो भूमि बता रहा है वह भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नही रही है तथा न ही रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है,प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कियोस्क अर्थात् वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड 16 गुणा 12 फीट के काटकर अप्रार्थी को अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसे रियायत दर पर उक्त भूमि आवंटित की गई है, प्रार्थी ने उक्त तथाकथित जांच रिपोर्ट दिनांक 7.12.2017 पटवारी हल्का से मिलावट कर तैयार करवाई है, पट्टा जारी करने के वक्त अर्थात् ग्राम पंचायत भूति द्वारा उक्त वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्लोट काटकर अप्रार्थी को रियायती दर पर आवंटित किया गया , उस वक्त भूमि की पैमायश कर मौका रिपोर्ट बनाकर उक्त पट्टे जारी किये थे। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई ,उसी

समय अप्रार्थी द्वारा शुल्क जमा करवा दी गई थी। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की गलत करतुतो की शिकायत उच्च अधिकारियों एवं लोकायुक्त को करने पर प्रार्थी नाराज होकर यह गलत व मनगढन्त व क्यासी तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को खर्चे व हर्जे से जैर बार करने की नियत से यह निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई ,प्रार्थी के वकील ने बताया कि मौजा भूति के खसरा नम्बर 618 रकबा 1.43हेक्टर की आराजी के सामने पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1078 रकबा 4.31 किस्म गैर मुमकिन सडक जो सार्वजनिक भूमि है व लोगो के आवागमन हेतु बनायी गयी हैं ,उक्त सडक पर अप्रार्थी सं.1 को सन् 2013 में पुश्तैनी कब्जा बताकर आवासी प्रयोजनार्थ हेतु पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत् पट्टा जारी करवाया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त करावे।इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के वकील ने बताया कि पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का भूति, भू अभिलेख निरीक्षक चांदराई की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2017 तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर के संयुक्त सचिव महोदय,लोकायुक्त सचिवालय, राज. जयपुर को प्रषित पत्र पत्र कमांक :सतर्कता/लो.प्र./2018/331 दिनांक 10.1.2018 के अनुसार अप्रार्थी ठाकराराम पुत्र केसाजी, जाति मेघवाल,निवासी भूति द्वारा 4.50 मीटर X 2.50 मीटर में अतिकमण कर पक्की दुकान तथा इसके आगे टीनसैड लगाकर कब्जा किया है, उक्त अतिकमण खसरा नम्बर 1078 रकबा 4.31 हेक्टर, किस्म गैर मुमकिन सडक ,सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि तथा पूर्व दिशा में स्थित खातेदारी खसरा नम्बर 618 रकबा 1.46 हेक्टर,किस्म चाही दोयम,जाव दोयम खातेदार हीरा ,प्रवीण पि. पकाराम वगैराह की खातेदारी में पाया गया है। उक्त वर्णित पत्र अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं.1को खसरा नम्बर 1078 रकबा 4.31 हेक्टर, किस्म गैर मुमकिन सडक,सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर तथा हीरा/प्रवीण पिता पकाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 618 रकबा 1.46 हेक्टर पर अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टा सं.92 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भूति द्वारा अप्रार्थी सं.1 को संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.9.2013 की अनुपालना में 25.9.2013 को जारी जारी पट्टा सं.92 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 3.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.12 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: